

संशोधन सूचना

परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य हेतु संवेदकों / ठेकेदारों के पंजीयन हेतु दिनांक 5.10.2018 को राजफैड बेबसाईट पर जारी दिशा निर्देशों की शर्त संख्या 6 में निम्न संशोधन किया जाता है :-

ठेकेदार/ट्रॉसपोर्टर/फर्म अधिकतम तीन जिलों का विकल्प दे सकता है। कार्यादेश के समय गत खरीद के ऑकड़ों को आधार मानते हुये जिले की समितियों / केन्द्रों की श्रेणी के अनुसार अमानत राशि होगी। बड़े मध्यम व छोटे वर्ग के (अर्थात् अ,ब,स वर्ग) जिलों के केन्द्रों की अमानत राशि क्रमशः 5 लाख, 3 लाख व 1 लाख रू. अधिकतम प्रति जिला 25 लाख रू. होगी।

संवेदक / ठेकेदार द्वारा अमानत राशि नकद / बैंकर चैक / ड्राफ्ट अथवा बैंक गारन्टी के रूप में दी जा सकती है। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अमानत राशि का रिफण्ड संतोषजनक कार्य करने पर किया जावेगा।

प्रबन्ध संचालक